जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) इंदिरा गांधी नहर परियोजना के चरण–I और II के नहर कार्यों पर मार्च, 1990 तक 721 करोड़ रुपए का कुल व्यय हुआ । इसमें चरण-II के नहर कार्यों के लिए मार्च, 1990 तक दी गयी 125.70 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता भी शामिल है ।

(ख) प्रथम चरण में 5.76 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है । मार्च, 1990 तक चरण–II के अन्तर्गत 1.51 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है ।

(ग) और (घ) चरण II में 256 कि. मी. लम्बी मुख्य नहर का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है । राज्य सरकार ने चरण–II में शेष नहर कार्यों की लागत पर 1222 करोड़ रुपए व्यय आने का अनुमान लगाया है और इसका निर्माण कार्य दसवीं योजना में पूरा किए जाने की संभावना है ।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) राज्य सरकार ने वैपकोस और अन्य परामर्शी अभिकरणों को कुछ आयोजना और संभाव्यता अध्ययन सौंपे हैं । बाह्य सहायता के किसी प्रस्ताव पर आगे विचार किये जाने हेतु कार्रवाई करने के पूर्व इन अध्ययनों को पूरा करना एक अनिवार्य पूर्वापेक्ष है ।

"आर०बी०आई० आस्कस बैक्स टू पे० 25 पैसे पर चैक" शीर्षक से समाचार

499. **श्री राम जेठमलानी:**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 अप्रैल, 1990 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "आर० बी० आई० आस्कस् बैक्स टू पे 25 पैसे पर चैक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार उपभोक्ताओं पर यह अतिरिक्त वित्तीय भार लादना चाहती है, ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) सरकार ने "आर० बी० आई० आस्कस् बैक्स टु पे 25 पैसे पर चैक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को देखा है ।

(ख) चैकों को तेजी से निपटाने और ग्राहक सेवा में सुधार लाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, और मद्रास स्थित समाशोधन गृहों में मशीनीकृत चैक संसाधन सेवा प्रदान करता है । सदस्य बैंकों द्वारा समाशोधन गृह के परिचालन संबंधी लागत को बांटने की सुस्थापित प्रथा को ध्यान में रखते हुए सेवाएं प्रदान करने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपकरण, आधारभूत, और अन्य सुविधाएं देने के लिए किए गए परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए उसका "न लाभ, न हानि" के आधार पर सदस्य बैंकों से चैक संसाधन प्रभार वसूल करने का प्रस्ताव है । भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि प्रभार दर के बारे में अन्तिम निर्णय लिए जाने तक उसने बैंकों से कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनकी ओर से संसाधित बाहर जाने वाले या बाहर से आने वाले चैकों के संबंध में 25 पैसे प्रति चैक की अस्थायी दर से दिनांक 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के लिए वे अपने खातों में प्रावधान करें ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने इस मुद्दे पर अभी कोई निर्णय नहीं किया है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता है।